-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मोमोज विक्रेता से लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 12 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए 02 मोबाइल फोन व रुपये बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना के 12 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 04.10.2025 को देर रात्रि थाना कोतवाली देहात पर सत्यम नि0 भज्जू का पुरवा ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह आरटीओ चौराहा गुरेह के पास मोमोज के दुकान किए हुए है, दो परिचित व्यक्ति आकाश और राहुल जो अक्सर उसकी दुकान आते थे, शाम को उसकी दुकान पर आए और गाली गलौज करते हुए उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर कृषि विश्वविद्यालय की ओर ले गए तथा उससे 02 एंड्रायड मोबाइल फोन व 325 रुपये नकद लूट लिए। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे इसी क्रम में आज दिनांक 05.10.2025 की प्रातः सूचना पर दोनों अभियुक्तों का ग्राम जारी के पास बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया सारा सामान, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- लूटा गया पूरा सामान (02 एंड्रायड मोबाइल व 325 रुपये नकद)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश पुत्र भरत प्रसाद नि0 भज्जू का पुरवा गुरेह थाना कोत0 देहात जनपद बांदा हाल पता आजाद नगर थाना कोत0 नगर जनपद बांदा
2. राहुल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 ग्राम देवरथा थाना बबेरू जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 273/25 धारा 309(6) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 274/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 शिववीर सिंह
3. उ0नि0 कृष्ण कुमार तिवारी
4. कां0 शिवम सिंह
5. कां0 राहुल कुमार
6. कां0 अनमोल गौतम